

मैंने प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की हलका पर नज़र किया गया। प्रथमदृष्टया मामला है और सुविधा सतुंलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अगर प्रार्थी को अपने खातेदारी हक अधिकार की भूमि से विपक्षीयता द्वारा बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

--आदेश--

अतः आदेश दिया जाता है ग्राम हमीरगढ़ पटवार हल्का हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा मे आराजी नम्बर 156/5 रकबा 0.0126 हे. भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि आगामी पेशी दिनांक तक नौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखें। प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को जरिये नोटीस तलब किया जावें। अस्थाई आदेश तलबी हेतु दिनांक 26/12/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ़ (राज.)

26/12/24

आराजी नम्बर 156/5 रकबा 0.0126 हे. भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि आगामी पेशी दिनांक तक नौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखें। प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को जरिये नोटीस तलब किया जावें। अस्थाई आदेश तलबी हेतु दिनांक 26/12/24 को पेश हो।

आदेश जारी

आराजी नम्बर 156/5 रकबा 0.0126 हे. भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि आगामी पेशी दिनांक तक नौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखें। प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को जरिये नोटीस तलब किया जावें। अस्थाई आदेश तलबी हेतु दिनांक 26/12/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ़ (राज.)

इस तरीके से करने पर भी दिनांक 20 नौके करने व करन कब्जा के अलावा आयी है। नौका पर्याप्त तहसील रकबा 0.0126 हे. हैक्टर, आराजी नम्बर 1.3530 अंकन कर, विपक्षीयता आवश्यक आवश्यक में पक्का पर आमादा करने पर इस आशय संख्या 01 हमीरगढ़ जिला 156/5 हैक्टर, 156/5 हैक्टर, आराजी नम्बर 156/5 रकबा 1.3530 करे व किसी होकर कब्जा संख्या 01 की यदि नहीं करे 155/5 की का यह प्रथम पक्ष में है और जारी नहीं का निर्माण अपूरणीय क्षति है।

21/12/24  
20/12/24  
20/12/24